# कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
## ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

*(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)*

क्रमांक 4119 /1398/ आउशि / सम. / 2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 31/7/2023

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

Govt. D. T. P. G. College Utai DURG No. 92 Dt. 03/08/23

विषय :– राज्य के प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन के उद्देश्य से आर्थिक सहायता हेतु आवेदनों का आमंत्रण ।

संदर्भ :– सदस्य सचिव राज्य योजना आयोंग योजना भवन सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक 1548 / एफ2 (एसएस) 04 / Notif / रायोआ / अप्र / 2023 नवा रायपुर दिनांक 14.07.2023

----000----

कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है । राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के संतुलित विकास हेतु उपयुक्त प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयो पर अध्ययन प्रस्तावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शैक्षण्कि संस्थाओं के शिक्षकगण छात्रगण / अनुसंधानकर्त्ताओं अथवा निजी अनुसंधानकर्त्ताओं इत्यादि से 31 अगस्त 2023 तक आवेदन आमंत्रित किय गये है।

इच्छुक व्यक्ति / संस्था प्रसांगिक विषयों पर आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 17.08.2022 के अनुसार संलग्न प्रपत्रों में अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।

योजना दिशा निर्देश तथा प्रासंगिक विषयों की सूची राज्य योजना आयोग की बेबसाईड http://spc.cg.cgspc@gov.in पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव ऑफलाईन अथवा ऑनलाइन ई–मेल आइडी ms.cgspc@gov.in पर सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग छ.ग. को प्रेषित कर सकते है।

**आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)**

संलग्न :– **पत्र की छायाप्रति।**

31.7.2023

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ०कमांक /4120/1398/ आउशि / सम / 2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 31 / 07 / 2023

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव राज्य योजना आयोंग योजना भवन सेक्टर–19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

31.7.2023

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रापुर अटल नगर (छ.ग.)

Dr. Avadhesh Shrivastava
Dr. Sandeep

(178)

# राज्य योजना आयोग
## छत्तीसगढ़

योजना भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर
☎ : 0771–2511223 ईमेल ms.cgspc@nic.in

No.: L-201 22
Section
Date 14 JUL 2023

क्रमांक/548 F2(SS)-04/Notif./रायोआ/अ.प्र./2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/07/2023

विषयः– **राज्य के प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन के उद्देश्य से आर्थिक सहायता हेतु आवेदनों का अमंत्रण।**

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के संतुलित विकास हेतु उपयुक्त प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन प्रस्तावों को प्राप्त करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षकगण, छात्रगण/अनुसंधानकर्ताओं अथवा निजी अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि से 31 अगस्त, 2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2/ इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं प्रासंगिक विषयों पर आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देश दिनांक 17/08/2022 अनुसार संलग्न प्रपत्रों में अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

3/ योजना दिशा–निर्देश तथा प्रासंगिक विषयों की सूची राज्य योजना आयोग की वेबसाईट http://spc.cg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन प्रस्ताव 'ऑफलाईन' अथवा 'ऑनलाईन' ईमेल आईडी ms.cgspc@gov.in पर सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जा सकता है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार,

3/7/2023
(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

पृ.क्र/549 /F2(SS)-04/Notif./रायोआ/अ.प्र./2023 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03/07/2023

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
3. निज सहायक, माननीय सदस्य, राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़।
4. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास योजना भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव/विशेष सचिव, छ.ग. शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. विभागाध्यक्ष, छ.ग. शासन के समस्त विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
10. कुल सचिव, .................................................................. विश्वविद्यालय/संस्थान, छत्तीसगढ़।
..................................................................
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, आयोग की वेबसाईट : http://spc.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु ।

3/7/2023
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

अनुलग्नक - I

# राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

## खण्ड–अ

## अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

**(5 प्रतियो में जमा किया जाए) अधिकतम अनुदान राशिः रूपये 5.00 लाख**

1. प्रधान अन्वेषक एवं सह अन्वेषक (अन्वेषकों) के नाम:

   पदनाम:

   विभाग (पूरा पता)

2. अध्ययन का शीर्षक :

   (अ) प्रस्ताव

   (ब) व्यापक क्षेत्र / फील्ड वर्गीकरण

3. अध्ययन को पूरा करने के लिए अपेक्षित

   अवधि :

4. आवश्यक कुल अनुदान :

   कृपया निम्नलिखित शीर्षों के तहत ब्यौरा दें

   (स्टाफ, उपकरण, आकस्मिकताओं, आदि के तहत औचित्यपूर्ण विस्तृत विवरण)

**अ. अनावर्ती (उपकरण यदि आवश्यक हो) अधिकतम रू.1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र)**

| क्र. | खरीदे जाने वाले उपकरण / सुविधाओं के नाम | उपकरण की विशिष्टता | इकाइयों की संख्या | अनुमानित लागत (रु.) अद्यतन स्थिति में |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

टीपः– इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, कम्प्यूटर संबंधी बाह्य उपकरणों एवं साफ्टवेयर क्रय का प्रस्ताव मान्य नहीं किया जायेगा। (दिशा–निर्देश की कंडिका–4(अ) (i) के अनुसार)

**ब. आवर्ती :–**

| क्र. | आईटम | बजट | योग |
|---|---|---|---|
| 1. | सेवाएं संबंधित विवरण दें –<br>– श्रेणीवार आवश्यक जनशक्ति की संख्या,<br>– आवश्यक कार्य दिवसों की संख्या<br>– प्रति व्यक्ति दिवस निधि की आवश्यकता –<br>– अन्य संस्थानों / विशेषज्ञों से प्रयोगशालाएं, तकनीकि सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं प्राप्त करना<br>– कुल फंड की आवश्यकता। | | |

10/8/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | आकस्मिक व्यय<br>– स्टेशनरी, किताबें, पुनर्मुद्रण | | |
| 3. | विशेष आवश्यकताएं | | |

(i) आकस्मिकता का उपयोग:

(कृपया निर्दिष्ट करें कि इस राशि का क्या उपयोग किया जाना है)।

(ii) उपकरण के लिए अनुदान का उपयोग.

(उपकरण का सामान्य नाम, मॉडल एवं विनिर्माण का विवरण एवं अध्ययन के संदर्भ में उसका उपयोग का उल्लेख किया जाना चाहिए)

## घोषणा और सत्यापन

मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्ययन अंतर्गत अनुदान स्वीकृति के नियम एवं शर्तों को पढ लिया है। अध्ययन प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आवश्यक संस्थागत सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। व्यय का पूर्ण लेखा परीक्षित लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक :– ..................

| | |
|---|---|
| प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर | संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर<br>एवं मुहर |

10/01/2012

खंड – ब

## विस्तृत अध्ययन प्रस्ताव

(कृपया नए पृष्ठ पर शुरू करें और इस खंड को प्रस्ताव में जोड़ें)

अध्ययन का मूल्यांकन करने के संबंध में आयोग एवं मूल्यांकनकर्ताओं की सुविधा के लिए यह जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए, और इसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

अ) अध्ययन का शीर्षक:

ब) अध्ययन के उद्देश्य:
विशेष रूप से समस्याओं का विवरण और अध्ययन की प्रासंगिकता का विवरण (लगभग 150 शब्द)

स) विस्तृत अध्ययन योजना (लगभग 1,500 शब्दों में):
योजना में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए विशिष्ट जानकारी शामिल होनी चाहिए: –

1. समुचित संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ विषय वस्तु का वर्तमान ज्ञान तथा क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान में व्याप्त कमियों को उजागर करना।
2. पूर्व में किया गया प्रारंभिक कार्य, यदि कोई हो।
3. सर्वेक्षण और डाटा प्रोसेसिंग आदि के डिजाइन के विवरण के साथ अध्ययन कार्य की योजना।
4. इस अध्ययन को किये जाने का वैज्ञानिक/तकनीकी महत्व (250 शब्दों में)।
5. विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की चरणबद्धता का विवरण दें। जैसे (ए) पायलट अध्ययन (बी) डेटा संग्रह (सी) डेटा प्रोसेसिंग।
6. अध्ययन संपादन हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित विधियां।
7. प्रस्तावित अध्ययन के संभावित प्रभाव (वैज्ञानिक/तकनीकी/औद्योगिक/क्षेत्रीय आर्थिक विकास/समग्र कल्याण/क्षमता सृजन आदि के संबंध में) का विवरण दें। (अध्ययन के संबंध में तथा राज्य के लिए इसकी प्रासंगिकता 300 शब्दों में)
8. कृपया निम्नलिखित आधारों पर अध्ययन की स्वीकृति का औचित्य सिद्ध करें:
अ) नवाचार/ नावेल आइडिया/ थीम या एप्रोच में नॉवेल्टी
ब) क्षमता निर्माण/अध्ययन का विकास:

स) इसके अनुप्रयोगों की व्यावहारिकता:

द) अनुप्रयोग का क्षेत्र:

इ) कोई अन्य विंदु :

## प्रस्तावक (प्रस्तावकों) द्वारा शपथ

मैंने अध्ययन अनुदान के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

| | |
|---|---|
| प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षरः | संस्था प्रमुख के हस्ताक्षरः |
| नामः | एवं (मुहर) |
| पदः | |
| दिनांक : .................................. | |

## खंड– स

### (प्रधान अन्वेषक (अन्वेषकों) का व्यक्तिगत विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | दूरभाष क्र. | | मोबाईल नं. : |
| | फैक्स क्र. | | |
| | ई–मेल | | |
| | नाम : | | |
| | पद नाम : | | |
| | विभाग: | | |
| | संस्था : | | |
| | पता : | | |
| 2. | जन्म तिथि : | | |
| 3. | व्यापक विषय क्षेत्र | | |
| 4. | विशेषज्ञता का क्षेत्र | | |
| 5. | शैक्षणिक योग्यता (स्नातक से प्रारम्भ) | | |

| डिग्री | वर्ष | विश्वविद्यालय | फील्ड |
|---|---|---|---|
| B.Sc. / BE/.... | | | |
| M.Sc./ME/.... | | | |
| Ph. D./.. | | | |
| Others | | | |

शोध /अध्ययन/प्रशिक्षण का अनुभव :

| अवधि | | संस्था | पदनाम | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| से | तक | | | |
| | | | | |

10/01/2022

6. अनुसंधान विशेषज्ञता:

(रुचि के प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्र)

7. संक्षिप्त विवरण:

अ) इस क्षेत्र या संबंधित क्षेत्रो में प्रस्तावक/प्रस्तावकों द्वारा किए गए शोध कार्य :

ब) वर्तमान अध्ययन के लिए प्रासंगिक प्रकाशनों की सूची: (शीर्षक और संपूर्ण संदर्भ के साथ)

(i) थीसिस और संबंधित क्षेत्र:

(ii) अन्य क्षेत्रों में (सूची पृथक से संलग्न की जा सकती है)

8. उपलब्ध संस्थागत सुविधाएं:

9. प्रस्तावित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान में उपलब्ध उपकरण संबंधी सुविधाएं।

10. पूर्ण की गई परियोजना/परियोजनाए।

| शीर्षक | एजेन्सी | पूर्णता का वर्ष |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

11. चालू परियोजनाए

| शीर्षक | एजेन्सी | अवधि | प्रोजेक्ट के प्रारंभ का वर्ष | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

[signature] 1/6/8/2021

**प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर :**

**नाम एवं पद नाम:**

**दिनांक :** ..................

खंड– द

## नियम और शर्तें

### (हस्ताक्षरित किया जाए और अध्ययन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए)

1. अध्ययन प्रस्ताव का अनुमोदन तथा जारी किये गये अनुदान इस प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट अध्ययन के लिए ही होंगे तथा अनुदान को केवल इस अध्ययन पर व निर्धारित समय–सीमा में व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। संस्थान को इस अध्ययन परियोजना के लिए किसी अन्य संगठन (सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त या निजी) से धन प्राप्त करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राशि का कोई भी अव्ययित भाग छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग नवा रायपुर के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से आयोग को समर्पित किया जाएगा और आयोग की विशिष्ट अनुमति से बची हुई राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिये ले जाकर उसी अध्ययन पर व्यय करने का विचार किया जा सकेगा।
2. कार्यान्वयन संस्थान/प्रधान अन्वेषक प्रत्येक माह अध्ययन पर कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संबंधित विशेषज्ञों/परियोजना निगरानी समिति आदि द्वारा अध्ययन की प्रगति की समीक्षा/मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके अलावा, आयोग वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को समय–समय पर संस्थान का दौरा करने, कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और इस तरह के उपायों का सुझाव देने के लिए,जिससे परियोजना के उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, नामित करेगा। अध्ययन के पूरा होने पर, इस विषय पर किए गए कार्य की समेकित रिपोर्ट की पांच प्रतियां आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।
3. संस्थान अध्ययन के अंत में प्रधान अन्वेषक, संस्था प्रमुख और संस्थान के वित्तीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुदान संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा खातों/ व्यय का एक लेखा परीक्षित विवरण, साथ ही व्यय का एक समेकित विवरण आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक होने पर बिल और वाउचर आदि भी जमा कराना होगा।
4. अध्ययन की पहली किश्त जारी होने की तारीख से परियोजना प्रारंभ हो जाएगी।
5. अध्ययन की प्रत्येक किश्त प्राप्त होने पर कार्यान्वयन संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को भेजनी होगी।
6. संस्थान अध्ययन के लिए पृथक से लेखा परीक्षित लेखे रखेगा। यदि ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खाते में अनुदान का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा रखना समीचीन पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा इस प्रकार के अर्जित ब्याज की सूचना आयोग को दी जानी चाहिए।
7. संबंधित संस्थान द्वारा स्टाफ की नियुक्ति, उपकरण, सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
8. खरीद, स्टॉक प्रविष्टियों, टूट–फूट और हानियों का उचित रिकॉर्ड सत्यापन हेतु रखा जाना चाहिए तथा सत्यापित रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्ययन के पूरा होने पर आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से खरीदे गए उपकरण और अन्य वस्तुओं को संस्थान की स्टॉक बुक में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
9. अन्वेषक/संस्थान आयोग द्वारा स्वीकृत अध्ययन कार्य के आधार पर जो पुस्तकें/शोध पत्र/लोकप्रिय लेख/पेटेंट/कॉपी राइट आदि प्रकाशित करना चाहते हैं, उनमें आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
10. यदि अध्ययन से कोई पेटेंट फाइलिंग होती है, तो ऐसी फाइलिंग से आयोग को सूचित किया जाएगा। तथा आयोग के बौद्धिक संपदा अधिकार केंद्र के उचित प्रयास के बाद, किसी अन्य आईपी का पेटेंट दायर किया जा सकता है।

18/8/2022

11. अध्ययन के निष्कर्ष और परिणाम में भविष्य के आगे के शोध/अध्ययन या अन्य संभावित उपयोग के संबंध में टिप्पणी होनी चाहिए।
12. अध्ययन के निष्कर्ष में विकसित हो सकने वाले नये ज्ञान/प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी या उद्यमिता मॉडल का उल्लेख किया जाना चाहिए।
13. संस्थान उस कार्य को, जिसके लिए उसे अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य संस्था को कार्यान्वयन हेतु नही सौंप सकता और न ही इस हेतु प्राप्त निधियों को सहायता के रूप में बाद वाली संस्था को हस्तांतरित कर सकता है।
14. यदि अन्वेषक/संस्थान अध्ययन को निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो उसे प्राप्त अनुदान की पूरी राशि आयोग को सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये ब्याज सहित वापस करना होगा।
15. अगर आयोग को इस बात का समाधान हो जाता है कि अनुदान का उचित उपयोग नही किया गया है या अध्ययन पर काम किसी लंबी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है या जांचकर्ताओं/संस्थानों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की जा रही है तब आयोग के पास किसी भी स्तर पर अनुदान को समाप्त करने और ब्याज सहित पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है, ।
16. यदि प्रधान अन्वेषक, जिसे अध्ययन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, उस संस्थान को छोड़ देता है जहां अध्ययन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, तो वह अध्ययन पर उसके द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उसकी रिहाई की तारीख तक खर्च किया गया धन और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, संस्थान के माध्यम से वापस करने की व्यवस्था भी करेगा।
17. जब भी संस्था से ऐसा करने के लिए कहा जाए, सभी अनुदान ग्राही संस्था की राशि स्वीकृति प्राधिकारी/लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।
18. स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पास कार्य की प्रगति के भौतिक सत्यापन का अधिकार होगा जिसका खर्च अनुदानग्राही संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
19. निर्धारित प्रारूप (साफ–सुथरी टाइप) में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर सभी सूचनाएँ, वित्तीय विवरण, भौतिक प्रगति औंर तकनीकी डेटा रिपोर्ट, अंतिम तकनीकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएंगी।
20. आयोग द्वारा जारी अनुदान के लिए खातों के वार्षिक और अंतिम लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए संस्थान जिम्मेदार होगा।
21. अन्य नियम और शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के लिए लागू तथा उन पर प्रयोज्य हैं।

| | |
|---|---|
| **प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षरः** | **संस्था प्रमुख के हस्ताक्षरः** |
| **सहयोगी अन्वेषकों के हस्ताक्षर नाम सहितः** | **एवं (मुहर)** |

## खंड – इ

## अध्ययन परियोजना के प्रधान अन्वेषक का प्रमाण पत्र

मैं (प्रधान अन्वेषक का नाम).................................................................................पिता/पति का नाम........ ........................................................................................ इस अध्ययन के संबंध में प्रमाणित करते हैं:-

1. आयोग को प्रस्तुत अध्ययन प्रस्ताव ( अध्ययन का शीर्षक उल्लेखित किया जाए )........................ ..........................................................................के संबंध में आवेदन में प्रस्तुत समस्त तथ्य मेरे जानकारी अनुसार सत्य है।

2. राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया गया यह अध्ययन प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रस्तावित अध्ययन कार्य अपने उद्देश्य एवं विषयवस्तु में मौलिक है और मेरी जानकारी में किसी अन्य संस्थान में यह अध्ययन नहीं किया गया है। मैंने अध्ययन के लिए साहित्य की खोज में उचित परिश्रम किया है।

5. मैं इस अनुदान के लिए राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के संबंधित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

प्रधान अन्वेषक का हस्ताक्षर

दिनांक ..................

स्थान ..............